

युद्ध विधवा छात्रावास व पुनर्वास केन्द्र, जयपुर में
जयपुर में छात्रावास/आवासीय सुविधा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र

1. युद्ध विधवा का नाम _____
2. स्व. पति का नम्बर, रैंक व नाम यूनिट _____
3. यूनिट _____
4. स्थाई पता मय टेलीफोन न० _____



5. पति के शहीद होने की तिथि _____ तथा ऑपरेशन का नाम _____
6. वर्तमान आयु स्वयं 1.7.2014 को (45 वर्ष से अधिक नहीं हो) _____
7. शैक्षणिक योग्यता (स्वयं की) _____
8. सुविधा जो प्राप्त करने चाहती है। आवासीय / छात्रावास
9. छात्रावास सुविधा प्राप्त करने वाले आश्रित छात्र/छात्रा का पूर्ण विवरण :-

क्र. सं.	नाम	लिंग	आयु	वर्तमान कक्षा

10. कुल मासिक पेंशन _____
11. पेंशन के अतिरिक्त अन्य वार्षिक आय _____
12. स्वयं अथवा इच्छुक छात्र/छात्रा के धारे में अन्य सूचना जो देना चाहे _____
13. विषय जिसमें स्व-रोजगार सीखना चाहती हैं _____
(सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कम्प्यूटर, जूस अचार जैल, ब्यूटी पार्लर शिक्षा, विद्युत उपकरणों के रख-रखाव व मोबिल, बेबसाईड कला, हिन्दी शीघ्र लिपिक, विज्ञापन डिजाईन)

14. क्या छात्रावास में फिक्स वेतन प्राप्त कर कार्य करना चाहती है। हां / नहीं
(कार्य का विवरण अनुभव सहित)

15. जयपुर में स्वयं, सास-ससुर का कोई मकान हां / नहीं

नोट :- कृपया उपरोक्त आवेदन प्रपत्र के साथ अपने स्व. पति के सर्विस पर्टिकूलर्स / डिस्चार्ज बुक की प्रति तथा आय के स्रोतों हेतु प्रमाण पत्र संलग्न करें।

हस्ताक्षर

नाम

वर्तमान पता

स्थान :

तारीख :

नोट :-

1. आवासीय सुविधा हेतु सिर्फ वे ही युद्ध विधवाएँ आवेदन करने की पात्र होंगी जिनकी आय 45 वर्ष से कम हो।
2. आवेदन पत्र में पेंशन तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त हो रही आय का पूर्ण विवरण दिया जावे।
3. आवासीय सुविधा हेतु आवेदन करने वाली युद्ध विधवाएँ जो कि अपने साथ बच्चों को भी रखना चाहती हैं, उन सभी बच्चों की आयु तथा शिक्षा का पूर्ण विवरण दिया जावे।
4. आवासीय / छात्रावास सुविधा प्रथमतः एक वर्ष के लिए दी जावेगी। इस अवधि को एक-एक वर्ष के लिये स्कूटिंग कमेटी द्वारा बढ़ाया जा सकता है अधिकतम सुविधा 5 वर्ष तक ही की जा सकेगी। किसी भी स्थिति में 5 वर्ष से अधिक की सुविधा किसी भी युद्ध विधवा / आश्रितों को नहीं दी जावेगी।
5. शहीद की आश्रित पत्नि स्पष्ट अंकित करें कि वे किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण / ट्रेनिंग होगी (सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कम्प्यूटर, जूस अचार जैल, ब्यूटी पार्लर शिक्षा, विद्युत उपकरणों के रख-रखाव व मोबिल, बेबसाईड कला, हिन्दी शीघ्र लिपिक, विज्ञापन डिजाईन)
6. शहीद की आश्रित पत्नि जो राजकीय सेवा में कार्यरत / एवं जिसका अथवा सास-ससुर का जयपुर जिले में मकान है को आवासीय सुविधा / छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

शपथ पत्र व इकरार नामा

यह शपथ पत्र व इकरारनामा आज दिनांकमाह.....वर्ष को श्रीमती उम्र
...पत्नी सेवा नं0 रैंक नाम (जिसको सांझी छत युद्ध विधवा छात्रावास एवं
पुनर्वास केन्द्रकी "निवासी" से जाना जाएगा व इसमें उनके **hiers, successors,**
excecutors और administrators भी शामिल होंगे) जो एक भाग व राजस्थान सरकार (जिस
को "सरकार" के नाम से जाना जाएगा व इसमें "सरकार" के द्वारा नियुक्त अधिकारी व अधिकृत च्यक्ति
भी शामिल होंगे)

उपर्युक्त "निवासी" ने सरकार के साथ यह शपथ पत्र व इकरार नामा पाँच हजार रुपये मात्र
अमानत राशी जमा करवा के निम्नलिखित/इकरारनामा में दी गई शर्तों की पालना में "सांझी छत"
युद्ध विधवा छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र..... में रहना स्वीकार किया है।

"सांझी छत" युद्ध विधवा छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र..... में रहने के लिए निम्नलिखित शर्तें
लागु होगी :-

1. मेरा /मेरे दिवंगत पति व बच्चों के नाम सेमें रहने के लिये मकान नहीं है
2. मैं वर्तमान में कहीं भी सेवारत नहीं हूँ।
3. मैंने युद्ध विधवा छात्रावास के नियमों को पूर्ण रूप से समझ लिया है तथा मेरे व मेरे
बच्चों द्वारा इन नियमों का पूरी तरह से पालना किया जायेगा ।
4. यदि मैं या मेरे बच्चे नियमों की पालना नहीं करते है तो मुझे युद्ध विधवा छात्रावास से
बेदखल करने का छात्रावास प्रबन्धन को पूरा अधिकार होगा।
5. मैं यह वचन देती हूँ कि समय-समय पर बढ़ायी गयी किराये की दरों व अन्य
व्ययों का नियत समय पर भुगतान करुगी।
6. मैं किसी भी परिस्थिति में युद्ध विधवा छात्रावास में पांच वर्ष की अवधि से अधिक निवास
नहीं करुगी।
7. जब तक मैं आवास में रहूँगी उसकी रख रखाव व देख-भाल की जिम्मेदारी मेरी
स्वयं की होगी।
8. किसी भी मामले में सैनिक कल्याण विभाग राजस्थान सरकार का निर्णय ही अन्तिम
होगा। इस निर्णय की पालन करने के साथ ही मैं/हम इस बाबत किसी प्रकार की कानूनी
कार्यवाही नहीं करने के लिये वचन बद्ध रहूँगी।

नोट :- जिन छात्रावासों में बच्चों को रहने की सुविधा प्रदान की जाती है यदि वह
अवयस्क है तो उस परिस्थिति में शपथ/इकरारनामा ग्रहिता के साथ-साथ सम्बन्धित भी
शपथ पत्र पर हस्ताक्षर अंकित करेगा तथा सत्यापित भी करेगा। यदि वह व्यस्क है तो वह
अलग से एक शपथ पत्र देगा।

हस्ताक्षर शपथ/इकरार नामा ग्रहिता

गवाह 1. हस्ताक्षर :-

नाम.....
पता.....
.....
.....

गवाह 2. हस्ताक्षर :-

नाम.....
पता.....
.....
.....

.....2/-

सत्यापन

मैंप्रमाणित करती हू कि शपथ पत्र/इकरार नामा में अंकित समस्त तथ्य मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही है तथा मेरे द्वारा कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है ईश्वर मेरी मदद करे।

शपथ/इकरार नाम ग्रहिता

उपर दिए गवाहों के समक्ष दोनों पक्षों ने आज.....(दिनांक)(मास).....
(वर्ष) को सह शपथ पत्र व इकरारनामा बिना किसी प्रभाव/दबाव में हस्ताक्षरित किया है।

शपथ/इकरार नामा ग्रहिता

हस्ताक्षर

निदेशक

सैनिक कल्याण विभाग राज0 जयपुर
कृते राजस्थान सरकार